



मध्यप्रदेश राजापत्र

(असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 487]

भोपाल, मंगलवार, दिनांक 15 दिसम्बर 2020—अग्रहायण 24, शक 1942

लोक सेवा प्रबंधन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 15 दिसम्बर 2020

क्र. एफ-2-17-लोसेpr-61-1-पी.एस.जी.-33.— मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 (क्रमांक 24 सन् 2010) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, राज्य सरकार, एतद्वारा वाणिज्यिक कर विभाग अंतर्गत आबकारी विभाग द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली सेवा, पदाधिकारी का पदनाम, सेवा प्रदान करने के लिये निश्चित की गई समय—सीमा, प्रथम अपील अधिकारी का पदनाम, प्रथम अपील अधिकारी द्वारा निराकरण के लिए निश्चित की गई समय—सीमा तथा द्वितीय अपील प्राधिकारी का पदनाम निम्नानुसार अधिसूचित करती है, अर्थात् :-

मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 की धारा 3 के तहत
वाणिज्यिक कर विभाग अंतर्गत आबकारी विभाग की सेवा

सेवा क्र.	सेवाएँ	पदाधिकारी का पदनाम	सेवा प्रदान करने की निश्चित समय—सीमा	प्रथम अपील का पदनाम	प्रथम अपील के निराकरण की निश्चित की गयी समय—सीमा	द्वितीय अपील प्राधिकारी का पदनाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

License for Whole Sale

33.9	डी. एस. —1 विप्रकृत स्पिरिट के थोक विक्रय के लिए अनुज्ञाप्ति	जिला कलेक्टर	आवेदन प्राप्त होने पर पात्रता की स्थिति में सम्पूर्ण पूर्ति के उपरांत निराकरण 02 सप्ताह	आबकारी आयुक्त, मध्यप्रदेश गवालियर	02 सप्ताह	प्रमुख सचिव, वाणिज्यिक कर विभाग
------	---	--------------	---	-----------------------------------	-----------	------------------------------------

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
33.10	डी.एस.पी. -2 (विप्रकृत स्पिरिट जन्य सम्पाकों के थोक विक्रय के लिए अनुज्ञाप्ति)	जिला कलेक्टर	आवेदन प्राप्त होने पर पात्रता की स्थिति में सम्पूर्ण पूर्ति के उपरांत निराकरण 04 सप्ताह	आबकारी आयुक्त, मध्यप्रदेश ग्वालियर	04 सप्ताह	प्रमुख सचिव, वाणिज्यिक कर विभाग
<u>License for Retail Sale</u>						
33.11	एफ.एल. 1 बी (शॉप बार अनुज्ञाप्ति)	जिला कलेक्टर	आवेदन प्राप्त होने पर पात्रता की स्थिति में सम्पूर्ण पूर्ति के उपरांत निराकरण 02 सप्ताह	आबकारी आयुक्त, मध्यप्रदेश	02 सप्ताह	प्रमुख सचिव, वाणिज्यिक कर विभाग
33.12	एफ.एल. 2 (रेस्टरां बार अनुज्ञाप्ति)	जिला कलेक्टर	आवेदन प्राप्त होने पर पात्रता की स्थिति में सम्पूर्ण पूर्ति के उपरांत निराकरण 04 सप्ताह	आबकारी आयुक्त, मध्यप्रदेश	04 सप्ताह	प्रमुख सचिव, वाणिज्यिक कर विभाग
33.13	एफ.एल. 3 (होटल बार अनुज्ञाप्ति)	जिला कलेक्टर	आवेदन प्राप्त होने पर पात्रता की स्थिति में सम्पूर्ण पूर्ति के उपरांत निराकरण 04 सप्ताह	आबकारी आयुक्त, मध्यप्रदेश	04 सप्ताह	प्रमुख सचिव, वाणिज्यिक कर विभाग
33.14	एफ.एल. 3-क (रिसोर्ट बार अनुज्ञाप्ति)	जिला कलेक्टर	आवेदन प्राप्त होने पर पात्रता की स्थिति में सम्पूर्ण पूर्ति के उपरांत निराकरण 04 सप्ताह	आबकारी आयुक्त, मध्यप्रदेश	04 सप्ताह	प्रमुख सचिव, वाणिज्यिक कर विभाग
33.15	एफ.एल. 4 (सिलियन विनोदगृह अनुज्ञाप्ति)	आबकारी आयुक्त, मध्यप्रदेश ग्वालियर	आवेदन प्राप्त होने पर पात्रता की स्थिति में सम्पूर्ण पूर्ति के उपरांत निराकरण 04 सप्ताह	प्रमुख सचिव, वाणिज्यिक कर विभाग	04 सप्ताह	प्रमुख सचिव, वाणिज्यिक कर विभाग
33.16	एफ.एल. 4-क (व्यावसायिक क्लब)	आबकारी आयुक्त, मध्यप्रदेश ग्वालियर	आवेदन प्राप्त होने पर पात्रता की स्थिति में सम्पूर्ण पूर्ति के उपरांत निराकरण 04 सप्ताह	प्रमुख सचिव, वाणिज्यिक कर विभाग	04 सप्ताह	प्रमुख सचिव, वाणिज्यिक कर विभाग

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
33.17	एफ.एल. 5 (प्रासंगिक अनुज्ञाप्ति)	जिला कलेक्टर	आवेदन प्राप्त होने पर पात्रता की स्थिति में सम्पूर्ण पूर्ति के उपरांत निराकरण 04 सप्ताह	आबकारी, आयुक्त, मध्यप्रदेश	04 सप्ताह	प्रमुख सचिव, वाणिज्यिक कर विभाग
33.18	सी.एस. 2 ग (अहाता अनुज्ञाप्ति)	जिला कलेक्टर	आवेदन प्राप्त होने पर पात्रता की स्थिति में सम्पूर्ण पूर्ति के उपरांत निराकरण 04 सप्ताह	आबकारी आयुक्त, मध्यप्रदेश	04 सप्ताह	प्रमुख सचिव, वाणिज्यिक कर विभाग
33.19	सी.एस. 2 ग—ग (प्रासंगिक कब्जा अनुज्ञा पत्र)	सहायक आबकारी आयुक्त / जिला आबकारी अधिकारी	आवेदन प्राप्त होने पर पात्रता की स्थिति में सम्पूर्ण पूर्ति के उपरांत निराकरण 02 सप्ताह	जिला कलेक्टर	02 सप्ताह	आबकारी आयुक्त, मध्यप्रदेश
33.20	डी.एस. —3 विप्रकृत स्पिरिट के फुटकर विक्रय के लिए अनुज्ञाप्ति	जिला कलेक्टर	आवेदन प्राप्त होने पर पात्रता की स्थिति में सम्पूर्ण पूर्ति के उपरांत निराकरण 02 सप्ताह	आबकारी आयुक्त, मध्यप्रदेश	02 सप्ताह	प्रमुख सचिव, वाणिज्यिक कर विभाग
33.21	डी.एस.पी. —2 (विप्रकृत स्पिरिट जन्य सम्पादकों के फुटकर विक्रय के लिए अनुज्ञाप्ति)	जिला कलेक्टर	आवेदन प्राप्त होने पर पात्रता की स्थिति में सम्पूर्ण पूर्ति के उपरांत निराकरण 04 सप्ताह	आबकारी आयुक्त, मध्यप्रदेश	04 सप्ताह	प्रमुख सचिव, वाणिज्यिक कर विभाग

Manufacturing License

33.22	डी. —1 (आसवानी में स्पिरिट विनिर्माण हेतु अनुज्ञाप्ति)	आबकारी आयुक्त, मध्यप्रदेश ग्वालियर	आवेदन प्राप्त होने पर पात्रता की स्थिति में सम्पूर्ण पूर्ति के उपरांत निराकरण 04 सप्ताह	प्रमुख सचिव, वाणिज्यिक कर विभाग	04 सप्ताह
33.23	एफ.एल. 9 (बोतल भराई अनुज्ञाप्ति बाटिंग लाइसेंस)	आबकारी आयुक्त, मध्यप्रदेश ग्वालियर	आवेदन प्राप्त होने पर पात्रता की स्थिति में सम्पूर्ण पूर्ति के उपरांत निराकरण 04 सप्ताह	प्रमुख सचिव, वाणिज्यिक कर विभाग	04 सप्ताह

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
33.24	एफ.एल. 9-क (विशेष बोतल भराई अनुज्ञाप्ति)	आबकारी आयुक्त, मध्यप्रदेश ग्वालियर	आवेदन प्राप्त होने पर पात्रता की स्थिति में सम्पूर्ण पूर्ति के उपरांत निराकरण 04 सप्ताह	प्रमुख सचिव, वाणिज्यिक कर विभाग	04 सप्ताह	
33.25	सी.एस. 1-क (निर्यात हेतु देशी स्पिरिट के विनिर्माण तथा बोतल भराई के लिए अनुज्ञाप्ति)	आबकारी आयुक्त, मध्यप्रदेश ग्वालियर	आवेदन प्राप्त होने पर पात्रता की स्थिति में सम्पूर्ण पूर्ति के उपरांत निराकरण 04 सप्ताह	प्रमुख सचिव, वाणिज्यिक कर विभाग	04 सप्ताह	
33.26	सी.एस. 1-ख (बोतल भरने की अनुज्ञाप्ति)	आबकारी आयुक्त, मध्यप्रदेश ग्वालियर	आवेदन प्राप्त होने पर पात्रता की स्थिति में सम्पूर्ण पूर्ति के उपरांत निराकरण 04 सप्ताह	प्रमुख सचिव, वाणिज्यिक कर विभाग	04 सप्ताह	
33.27	बी-3 (बीयर निर्माण हेतु अनुज्ञाप्ति)	आबकारी आयुक्त, मध्यप्रदेश ग्वालियर	आवेदन प्राप्त होने पर पात्रता की स्थिति में सम्पूर्ण पूर्ति के उपरांत निराकरण 04 सप्ताह	प्रमुख सचिव, वाणिज्यिक कर विभाग	04 सप्ताह	
33.28	बी-3 एफ.एल.9-क (विशेष बोतल भराई अनुज्ञाप्ति)	आबकारी आयुक्त, मध्यप्रदेश ग्वालियर	आवेदन प्राप्त होने पर पात्रता की स्थिति में सम्पूर्ण पूर्ति के उपरांत निराकरण 04 सप्ताह	प्रमुख सचिव, वाणिज्यिक कर विभाग	04 सप्ताह	
33.29	बी-3-क (वाइनरी अनुज्ञाप्ति)	आबकारी आयुक्त, मध्यप्रदेश ग्वालियर	आवेदन प्राप्त होने पर पात्रता की स्थिति में सम्पूर्ण पूर्ति के उपरांत निराकरण 04 सप्ताह	प्रमुख सचिव, वाणिज्यिक कर विभाग	04 सप्ताह	
33.30	झाट बीयर निर्माण हेतु अनुज्ञाप्ति	आबकारी आयुक्त, मध्यप्रदेश ग्वालियर	आवेदन प्राप्त होने पर पात्रता की स्थिति में सम्पूर्ण पूर्ति के उपरांत निराकरण 04 सप्ताह	प्रमुख सचिव, वाणिज्यिक कर विभाग	04 सप्ताह	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
33.31	एच. डी. 1-क (औषधीय और प्रसाधन सामग्रियों के सद्भावपूर्ण विनिर्माण के प्रयोजन के लिये, विहित सीमा से अधिक भांग का कब्जा रखने, विनिर्माण करने या परिवहन करने के लिए विशेष अनुज्ञा)	सहायक आबकारी, आयुक्त/ जिला आबकारी अधिकारी	आवेदन प्राप्त होने पर पात्रता की स्थिति में सम्पूर्ण पूर्ति के उपरांत निराकरण 04 सप्ताह	जिला कलेक्टर	04 सप्ताह	आबकारी आयुक्त, मध्यप्रदेश
33.32	डी.एस.पी-1 (विप्रकृत स्पिरिट जन्य सम्पाकों के निर्माण के लिए या ऐसे सम्पाकों में निर्माण और बिक्री के लिए अनुज्ञाप्ति)	जिला कलेक्टर	आवेदन प्राप्त होने पर पात्रता की स्थिति में सम्पूर्ण पूर्ति के उपरांत निराकरण 04 सप्ताह	आबकारी आयुक्त, मध्यप्रदेश	04 सप्ताह	प्रमुख सचिव, वाणिज्यिक कर विभाग

Other License

33.33	एन.डी. 1 (विनिर्मित औषधि कोका पत्ती की बिक्री के लिए अनुज्ञाप्ति)	जिला कलेक्टर	आवेदन प्राप्त होने पर पात्रता की स्थिति में सम्पूर्ण पूर्ति के उपरांत निराकरण 04 सप्ताह	आबकारी आयुक्त, मध्यप्रदेश	04 सप्ताह	प्रमुख सचिव, वाणिज्यिक कर विभाग
33.34	एन.डी.-1 क (औषधि अफीम एवं स्वापक औषधि से निर्मित औषधियों के विनिर्माण, कब्जा और बिक्री के लिए अनुज्ञाप्ति)	जिला कलेक्टर	आवेदन प्राप्त होने पर पात्रता की स्थिति में सम्पूर्ण पूर्ति के उपरांत निराकरण 04 सप्ताह	आबकारी आयुक्त, मध्यप्रदेश	04 सप्ताह	प्रमुख सचिव, वाणिज्यिक कर विभाग
33.35	एन.डी. 2 (औषधि, अफीम को छोड़कर कोका पत्ती और विनिर्मित औषधियों की औषधि विक्रेताओं के द्वारा बिक्री के लिए अनुज्ञाप्ति)	जिला कलेक्टर	आवेदन प्राप्त होने पर पात्रता की स्थिति में सम्पूर्ण पूर्ति के उपरांत निराकरण 04 सप्ताह	आबकारी आयुक्त, मध्यप्रदेश	04 सप्ताह	प्रमुख सचिव, वाणिज्यिक कर विभाग

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
33.36	डी.एस. 3 (प्रमाणिक उद्योगों, वैज्ञानिक और मंद करने के प्रयोजन के लिए विपकृत स्पिरिट के कब्जा के लिए अनुज्ञाप्ति)	जिला कलेक्टर	आवेदन प्राप्त होने पर पात्रता की स्थिति में सम्पूर्ण पूर्ति के उपरांत निराकरण 04 सप्ताह	आबकारी आयुक्त, मध्यप्रदेश	04 सप्ताह	प्रमुख सचिव, वाणिज्यिक कर विभाग
33.37	डी.एस. 4 (विशेष प्रक्रिया द्वारा विकृतिकृत स्पिरिट के औषधि विक्रेताओं द्वारा कब्जे, उपयोग और विक्रय के लिए उद्योगों में कब्जे और उपयोग के लिए अनुज्ञाप्ति)	जिला कलेक्टर	आवेदन प्राप्त होने पर पात्रता की स्थिति में सम्पूर्ण पूर्ति के उपरांत निराकरण 04 सप्ताह	आबकारी आयुक्त, मध्यप्रदेश	04 सप्ताह	प्रमुख सचिव, वाणिज्यिक कर विभाग

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनीष रस्तोगी, प्रमुख सचिव.